



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 24.07.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- ❖ पुलिस लाइन सभागार में अपर पुलिस अधीक्षक बांदा द्वारा पुलिस पेंशनर्स के साथ की गई मीटिंग । पेंशनर्स की समस्याएं सुन उनके निस्तारण हेतु संबंधित को दिए गए आवश्यक दिशा- निर्देश ।
- ❖ अपर पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश पुलिस पेंशनर कल्याण संस्थान की त्रिवर्षीय जिला कार्यकारिणी का चुनाव संपन्न किया गया ।

विवरण- आज दिनांक 24.07.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक एवं नोडल अधिकारी श्री शिवराज की अध्यक्षता में संस्थान की त्रिवर्षीय जिला कार्यकारिणी का चुनाव संपन्न हुआ । चुनाव में सर्वसम्मति से गोविंद सिंह कछवाह को अध्यक्ष, महेंद्र सिंह तोमर को उपाध्यक्ष, जयकरण सिंह को महासचिव, शंख पाणी मिश्र को सचिव प्रथम, हरि प्रसाद सोनकर को सचिव द्वितीय, अलकू विश्वकर्मा को कोषाध्यक्ष तथा सत्य प्रकाश द्विवेदी को मीडिया प्रभारी मनोनीत किया गया । गोष्ठी में प्रतिसार निरीक्षक बेलास यादव व अकाउंटेंट संदीप यादव सहित जनपद के बड़ी संख्या में पुलिस पेंशनर उपस्थित रहे । कार्यक्रम के अंत में अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री शिवराज ने नवनिर्वाचित जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारियों एवं जनपद से आए सभी पुलिस पेंशनरों को बधाई दी है । बैठक के उपरांत अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री शिवराज द्वारा पुलिस लाइन सभागार में पुलिस पेंशनर्स के साथ मीटिंग की गई । मीटिंग में पुलिस पेंशनर्स की पेंशन, चिकित्सा सुविधाएं, पारिवारिक पेंशन, लंबित प्रकरणों एवं अन्य व्यक्तिगत एवं विभागीय समस्याओं को गम्भीरतापूर्वक सुना गया और संबंधित शाखाओं/अधिकारियों को प्रत्येक प्रकरण का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने हेतु स्पष्ट निर्देश दिए गए तथा पेंशनर्स को आश्वासित किया गया कि उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर कराया जाएगा तथा अनावश्यक विलंब नहीं होने दिया जाएगा । साथ ही पेंशनर्स की सराहना करते हुए बताया गया कि उनके द्वारा अपने सेवाकाल में पुलिस विभाग के लिए निष्ठा एवं समर्पण के साथ किए गए कार्य किए गए हैं इसलिए उनकी समस्याओं का समाधान करना विभाग का नैतिक एवं प्रशासनिक दायित्व है । पेंशनर्स के सम्मान, सुविधा एवं कल्याण के लिए पुलिस प्रशासन सदैव प्रतिबद्ध है । अपर पुलिस अधीक्षक बांदा ने पुलिस पेंशनर्स से अपील की वे सभी नौकरी से रिटायर हुए हैं सेवा से नहीं, आज भी कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाएं रखने तथा अपराधों पर कार्यवाही करने में उनके अहम योगदान की आवश्यकता है ।